priority basis outside their respective State/Constituencies take longer than 30 days;

(b) if so, the telecommunication circle-wise details of recommendations made by MPs upto 31st January, 1996 and which still remain unexecuted as on date;

(c) whether any effort has been made/ contemplated to give effect to these recommendations speedily? and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Sanctions for telephone connection are issued immediately on receipt of instructions from the Hon'ble M.Ps. and normally telephone connections are provided within 30 days, However, for a few cases, it takes more than the prescribed time due to technical non-feasibility/non compliance of formalities by the beneficiaries.

(b) the information is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) and (d) Yes, Sir, For speedy provision of the telephones recommended by the Hon'ble M.Ps, for a place outside their constituency, instructions have already been issued whereby the Head of concerned circles would liaise with their counter part for provisions of thelephone connection within 30 days. Wherever, it is technically non-feasible the Head of circle will intimated to the M.P. as well as the beneficiary, the expected date of installation.

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को आपातकालीन वीज़ा

239. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को प्राथमिकता आधार पर और किसी पूर्व सत्यापन के बिना आपातकालीन वीजा जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; यदि हां, तो किस हद तक;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ङ) जो पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत में पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत आकस्मिक संकट के कारण भारत आना चाहते हैं। उनको तत्काल वीजा जारी किया जाता है। सभी मामलों की तरह इन मामलों में भी वीजा प्रदान करते समय निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीजा देते समय, सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो।

भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिक

240. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:
श्री राजनाथ सिंह:
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1996 के साप्ताहिक "सन्डे ओब्जरवर" में "ओवर 50,000 पाक नेशनल्ज हाइडिंग इन इण्डिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से भारी संख्या में विदेशी राष्ट्रिक इस देश में अवैध रूप से आते रहे हैं;

(ग) देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) ये विदेशी राष्ट्रिक किन-किन देशों के रहने वाले हैं; और

(ङ) सरकार ने इन विदेशी राष्ट्रिकों को उनके देशों में वापस भेजने के लिये क्या नीति अपनाने का निर्णय लिया है?